रामनरेश अग्निहोत्री
मंत्री
आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग
उत्तर प्रदेश

कार्यालय : 2238274
सी.एच. : 2213866
आवास : 2235033
9-कालीदास मार्ग, लखनऊ
कक्ष सं. : 81,81-A
विधान भवन, लखनऊ

दिनांक .....

मा0 मुख्यमंत्री जी,

कृपया उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ के संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संघ ने आबकारी निरीक्षक संवर्ग का पदनाम राजपत्रित पद प्रतिष्ठा के अनुरूप परिवर्तित करते हुए **क्षेत्राधिकारी (आबकारी)** अथवा **क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी** किये जाने का अनुरोध किया है। अवगत कराना है कि यदि पद नाम परितर्वन किया जाता है तो इसके फलस्वरूप किसी प्रकार का वित्तीय व्ययभार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ के संलग्न पत्र में वर्णित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पद नाम परिवर्तन कराने की कृपा करें।

11.11.2020
(रामनरेश अग्निहोत्री)
मंत्री
आबकारी एवं मद्य निषेध
उत्तर प्रदेश

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

कार्मिक- 4 (जे०सी०एम०) पत्रावली संख्या-7, ई०एम०/81 (संयुक्त सलाहकार समिति)
लखनऊ दिनांक 28.02.83 के अन्तर्गत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

अध्यक्ष
अतुल त्रिपाठी
मो०-9415307404

उपाध्यक्ष
संतोष कुमार उपाध्याय
मो०-9415635031
प्रियंका मिश्रा
मो०- 9891594705

महामंत्री
अमित कुमार निर्मल
मो०-9452273850

संयुक्त मंत्री
लवी आर्या
मो०-9415259239
इंगिता पाण्डेय
मो०-8601969713

कोषाध्यक्ष
आशीष पाण्डेय
मो०-7905443606

प्रकाशन मंत्री
नेहा कुमारी
मो०-9313237768

सम्प्रेक्षक
लक्ष्मी शंकर बाजपेयी
मो०-9473979630

पत्रांक....45.........   दिनांक...11.11.2020

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी
उत्तर प्रदेश शासन ,
लखनऊ ।

विषय : **आबकारी निरीक्षक संवर्ग का पदनाम राजपत्रित पद प्रतिष्ठा के अनुरूप परिवर्तित करते हुए "क्षेत्राधिकारी (आबकारी) अथवा "क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी" किये जाने विषयक ।**

महोदय,

कृपया पत्र के साथ संलग्न आबकारी आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 788 / पी.एस.-30 / संघ / आ.नि. / 1997 दिनांक इलाहाबाद जून 30, 2010 का संज्ञान लेने की कृपा करें जिसमे आबकारी निरीक्षक संवर्ग के पदनाम को परिवर्तित कर क्षेत्राधिकारी आबकारी का पदनाम प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि आबकारी राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि अर्जित करने के लिए विभाग के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले कार्मिकों के स्तर में भी अनुकूल परिवर्तन होना समीचीन है। पूर्व में निरीक्षक संवर्ग का पद अधीनस्थ चयन आयोग से चयनित होने वाला समूह "ग" का अराजपत्रित श्रेणी का पद हुआ करता था। विगत एक दशक में निरीक्षक संवर्ग ने पूर्ण मनोयोग से कार्य करते हुए विभाग के राजस्व अर्जन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि की है। वर्ष 2019-20 में आबकारी राजस्व की प्राप्ति 27323 करोड़ रू हो गयी है। **आबकारी विभाग के प्रति कार्मिक राजस्व अर्जन क्षमता प्रदेश में सर्वोच्च है।**

कोरोना महामारी की आपदा में लाकडाउन की विषम परिस्थितियों में संवर्ग के सदस्यों ने पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मियों की भांति जोखिम उठाते हुए पूरे मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। महामारी की चुनौती से निपटने हेतु किये जा रहे राहत कार्यों / प्रयासों का वितीय पोषण करने के उद्देश्य से मदिरा की प्रति बोतल / अद्धा / पौव्वा पर "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" के आरोपण से प्रति माह औसतन 225 करोड़ रूपये का सहयोग राजकोष को प्राप्त हो रहा है। इस राजस्व संग्रहण के महती दायित्व को निभाने वाले संवर्ग के सदस्यों के मनोबल के उन्नयन के लिए समय के अनुरूप उनके स्तर में भी अनुकूल परिवर्तन आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

वर्तमान में आबकारी निरीक्षक संवर्ग, समूह "ख" श्रेणी का राजपत्रित पद प्रतिष्ठा प्राप्त पद है ; जिनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के माध्यम से होता है | संवर्ग के सदस्यों द्वारा निर्वहन किये जा रहे राजस्व विभाग ,पुलिस विभाग एवं अभियोजन विभाग के दयित्वों के परिप्रेक्ष्य में यह प्रासंगिक हो उठा है कि संवर्ग के पदनाम को परिवर्तित कर "क्षेत्राधिकारी-(आबकारी)" या "क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी" कर दिया जाय | संवर्ग के नाम में निरीक्षक पदनाम रहने से लोक सेवा आयोग की पी.सी.एस.परीक्षा से चयनित होने के उपरान्त भी कई सदस्य प्रतिवर्ष अन्य सेवाओं में चयनित होकर आबकारी विभाग से पलायन कर जाते हैं | पदनाम परिवर्तित कर देने से न केवल प्राथमिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले राजपत्रित पद प्रतिष्ठा प्राप्त निरीक्षक संवर्ग का मनोबल बढेगा वरन प्रतिवर्ष आबकारी विभाग से होने वाले मेधा पलायन को भी रोका जा सकेगा | इस सम्बन्ध में संवर्ग की मांग को पूर्व में **तत्कालीन आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा वर्ष 2010 में ही स्वीकार कर पदनाम परवर्तन की अनुसंशा की जा चुकी है (संलग्नक-1)** |

ध्यातव्य है कि पदनाम परिवर्तन की उपरोक्त मांग वर्ष 2010 में ही औचित्यपूर्ण हो चुकी है | वर्तमान में तो संवर्ग समूह ख एवं राजपत्रित स्तर का पद है जिसका चयन लोक सेवा आयोग की सम्मानित पी.सी.एस. परीक्षा के द्वारा होता है , अतः अब संवर्ग की मांग को स्वीकार किये जाने को और भी मजबूत आधार है |

यह भी उल्लेखनीय है कि आबकारी निरीक्षक संवर्ग के समान वेतन पाने वाले अन्य कई विभागों में समकक्ष संवर्ग यथा- प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को खंड शिक्षा अधिकारी, फारेस्ट रेंजर को क्षेत्रीय वनाधिकारी ,खाद्य निरीक्षक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी , श्रम निरीक्षक को श्रम प्रवर्तन अधिकारी , वरिष्ठ विपणन अधिकारी को क्षेत्रीय विपणन अधिकारी का पदनाम दिया जा चुका है | **आबकारी निरीक्षक संवर्ग के पदनाम को परिवर्तित करने से कोई वित्तीय भार नहीं पड़ना है** |

अतः अनुरोध है कि संवर्ग के पदनाम परवर्तन की औचित्यपूर्ण मांग को शासन द्वारा स्वीकृत कराये जाने हेतु संस्तुति प्रदान करने एवं पदनाम परिवर्तित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें | संघ सदैव आपका आभारी रहेगा |

संलग्नक –यथोक्त

Atripathi
11.11.2020

अतुल त्रिपाठी
अध्यक्ष
उ.प्र.आबकारी निरीक्षक संघ

Scanned with CamScanner

संख्या 788 /पी0एस0–30/संघ/आ0नि0/1997

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आबकारी विभाग,
बापू भवन, लखनऊ।

दिनाक:इलाहाबाद,जून, 30 ,2010

<u>विषय–आबकारी निरीक्षक संवर्ग का पदनाम परिवर्तित करते हुये राजपत्रित पद घोषित किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या 107(आ0मं0) ई–1/तेरह–2009 दिनांक 27.07.2009 एवं आबकारी निरीक्षक संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 15.07.2009 एवं 23.06.2010 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

आबकारी निरीक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने ज्ञापन दिनांक 23.06.2010 , संघ के पूर्व ज्ञापन दिनांक 15.07.2009 के क्रम में प्रस्तुत किया है। उक्त ज्ञापनों के माध्यम से आबकारी निरीक्षक का पदनाम परिवर्तित कर क्षेत्राधिकारी आबकारी करने की मांग की गयी है। आबकारी निरीक्षक संघ की उक्त मांग के संबंध में पूर्व प्रेषित संस्तुति दिनाक 12.02.2003(छाया प्रति संलग्न) सहित, आबकारी निरीक्षक संवर्ग के कार्यदायित्वों, शैक्षिक योग्यता, चयन प्रकिया एवं शारीरिक अर्हता आदि का अन्य विभागों के समानांतर पदो से तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। संघ की पदनाम परिवर्तन करते हुये राजपत्रित पद मांग के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:–

1– आबकारी विभाग प्रदेश को राजस्व आय देने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है । आबकारी राजस्व में उत्तरोत्तर अपेक्षित वृद्धि अर्जित करने के लिये विभाग का सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तर भी इसी के अनुरूप होना अपरिहार्य है। आबकारी निरीक्षक विभाग का मेरुदण्ड है जिसका मौलिक कार्य एवं दायित्व ही राजस्व अर्जन ,अनुरक्षण एवं इसमें वृद्धि प्राप्त करना है। आबकारी निरीक्षक का कार्य क्षेत्र कई थाना क्षेत्रों को मिलाकर होता है तथा कहीं कहीं तहसील स्तर से भी बड़ा है। आबकारी अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं आज के संगठित अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिये एक सशक्त आबकारी निरीक्षक संवर्ग, समय की मांग है। आबकारी विभाग राजस्व एवं पुलिस विभाग का एक समेकित विभाग है जिसमें आबकारी निरीक्षक को प्रवर्तन कार्यो में पुलिस का कार्य एवं दायित्व निर्वहन करना पड़ता है दूसरी ओर राजस्व प्राप्ति एवं वसूली में उसकी राजस्व अधिकारी की भूमिका रहती है।

2– उक्त के अतिरिक्त एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक का नारकोटिक्स अपराधों की धर–पकड़ का भी कार्य एवं दायित्व निर्धारित है जिसमें तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में लिये जाने का प्राविधान है । विस्तृत कार्यक्षेत्र एवं विविध महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व, प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग लेते हुये संपादित किये जाने के लिये भी आबकारी निरीक्षक संवर्ग को राजपत्रित पद घोषित किया जाना उचित होगा।

3– यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत की जाने वाली समादेश याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र, राजपत्रित अधिकारी के द्वारा ही शपथित किया जा सकता है। जनपदों में एक मात्र सहायक आबकारी आयुक्त (राजपत्रित अधिकारी) की नियुक्ति के कारण कार्यो में कठिनायी एवं वैधानिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। आबकारी निरीक्षक संवर्ग को राजपत्रित घोषित किये जाने के उपरांत इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

4– उपरोक्त औचित्य के दृष्टिगत् आबकारी निरीक्षक संघ की यह मांग उचित प्रतीत होती है। अतः आबकारी निरीक्षक संघ की मांग के अनुरूप आबकारी निरीक्षक पदनाम परिवर्तित करते हुये, क्षेत्राधिकारी आबकारी का पदनाम देकर इसे राजपत्रित संवर्ग अधिसूचित किये जाने पर कृपया विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner